

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 2813


दिनांक: 09.07.14

## अधिसूचना

सां. आ. 85/2014 आयोग के आदेश क्रमांक प.4(2)(1)पंचु-नपा/94/4489 दिनांक 06.01.2000 (सां. आ. संख्या 39/99) के बिन्दु संख्या 6(i) में अंकित कट-आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों हेतु निर्धारित अधिकतम खर्च सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्रम संख्या	पदनाम	वर्तमान खर्च सीमा	संशोधित खर्च सीमा
1.	जिला परिषद सदस्य हेतु	20000	80000
2.	पंचायत समिति सदस्य हेतु	10000	40000
3.	सरपंच हेतु	5000	20000


आज्ञा से,

  
(अशोक कुमार जैन)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं सचिव

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 2814-24 दिनांक: 09.07.14  
प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(ग) में तत्काल प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे और अधिसूचना की 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध करावे।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
5. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक भाग 6(ग) में तत्काल प्रकाशित करें।
6. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
7. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
9. निजी सहायक, उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
10. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

  
(निर्मल कुमार जैन)  
सहायक सचिव